

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.


प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र मूढो की ढाणी

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. बांकाराम पुत्र सुखराम 2. जोगाराम पुत्र सुखराम 3. रमेश कुमार पुत्र सुखराम 4. रम्भादेवी पत्नि सुखराम जाति भाट निवासी महादेव नगर, मूढो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर		1. ताजाराम पुत्र लाधूराम 2. खेताराम पुत्र लाधूराम 3. दरिया पत्नि लाधूराम 4. भूराराम पुत्र लाधूराम जातियान भाट 5. देदाराम पुत्र मोतीराम 6. टीकमाराम पुत्र मोतीराम 7. जोगाराम पुत्र तुलसाराम 8. खरथाराम पुत्र तुलसाराम 9. मानाराम पुत्र तुलसाराम 10. जालाराम पुत्र भैराराम जातियान भाट 11. नोजीदेवी पत्नि पदमाराम जाति जाट 12. लतीफ पुत्र इब्राहीम 13. तगाराम पुत्र देराजराम 14. खेमाराम पुत्र अचलाराम 15. पुरखाराम पुत्र अचलाराम 16. लुम्भाराम पुत्र वीरमाराम 17. बाबूराम पुत्र वीरमाराम 18. प्रतापराम पुत्र वीरमाराम 19. तगाराम पुत्र वीरमाराम 20. तगाराम पुत्र वीरमाराम 21. बांकाराम पुत्र वीरमाराम 22. रामलाल पुत्र वीरमाराम 23. मानीदेवी पत्नि वीरमाराम 24. मोहनराम पुत्र गेनाराम 25. आसूराम पुत्र गेनाराम 26. मूलाराम पुत्र गेनाराम 27. हरलाल पुत्र प्रभूराम 28. उगाराम पुत्र प्रभूराम 29. खेराजराम पुत्र प्रभूराम जातियान जाट निवासीयान महादेव नगर, मूढो की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-126/2021 दिनांक-16.12.2021

### आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महादेव नगर पटवार क्षेत्र मूढो की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 618/276 रकबा 08.13 बीघा, खसरा नम्बर 624/276 रकबा 16.01 बीघा, कुल रकबा 24.14 बीघा चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मूके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/463-

दिनांक- 17/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढो की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी बांकाराम पुत्र सुखराम वगैरह जाति भाट निवासी महादेव नगर, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण ताजाराम पुत्र लाधूराम वगैरह जाति भाट/जाट निवासी महादेव नगर, मूढों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

1 से 3 पत्र  
Bansal